उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-43/2016/एस-2-2342/दस-2016-33(23)/2016
लखनऊ :: दिनॉक:: 20 दिसम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क विशेष वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को उच्च वेतनमान (वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8900/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उनके वर्तमान पदों पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8900/- में उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती का पद/स्थान	पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का पद/स्थान
1	2	3
1	श्री रामदेव सिंह, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस भर्ती बोर्ड, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस भर्ती बोर्ड, लखनऊ।
2	श्री मणिशंकर पाण्डेय, वित्त नियंत्रक, विकास प्राधिकरण वाराणसी।	वित्त नियंत्रक, विकास प्राधिकरण वाराणसी।
3	श्री राकेश कुमार त्रिपाठी, अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।	अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-43/2016/एस-2-2342(1)/दस-2016, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesj.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/आवास एवं शहरी विकास/राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।

3- महानिदेशक, पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सचिव/आयुक्त, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- आयुक्त/सचिव, विकास प्राधिकरण वाराणसी।

6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- निदेशक, पेंशन/सामूहिक बीमा/एफ0ए0टी0आई, लखनऊ।

8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन), वाराणसी/फैजाबाद।

10- संबंधित अधिकारीगण।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesj.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।